

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर।

पत्रांक 4598 / मीरजापुर / 15 दिनांक, मीरजापुर, मई, 25, 2018.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

विषय:-

बेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम- ददरी खुर्द, तहसील- सदर, जिला- मीरजापुर में प्रस्तावित 1320(2x660) मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत भूमिगत वाटर पाइप लाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ-

1- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/08/38/2016/एफ.सी./478 दिनांक 11.01.2017, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक-2691/14-2-2018-800(64)/2016 दिनांक 27.08.2018 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 469/11-सी-FC/UP/Thermal/14236/2015 लखनऊ दिनांक 29.08.2018. तथा पत्रांक 2173/11-सी-FC/UP/Thermal/14236/2015 लखनऊ दिनांक 17.05.2019,

महोदय,

बेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम- ददरी खुर्द, तहसील- सदर, जिला- मीरजापुर में प्रस्तावित 1320(2x660) मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत भूमिगत वाटर पाइप लाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में उपरोक्त संदर्भित पत्र में उल्लिखित बिन्दु संख्या-3 की वांछित आख्या/अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में आख्या निम्न प्रकार है- परियोजना हेतु बेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तावित 1320(2x660) मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु ग्राम- ददरी खुर्द, तहसील- सदर, जिला- मीरजापुर में लगभग 837 एकड़ भूमि क्रय की गयी है।

अवगत कराना है कि ग्राम- ददरी खुर्द, तहसील- सदर, जिला- मीरजापुर में उ0प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा-117 (6) के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या- 617 दिनांकित 11 अक्टूबर 1952 के तहत वन विभाग को पृष्ठ संख्या 1225 के क्रम संख्या 244 पर 800 एकड़ एवं पृष्ठ संख्या 1225 के क्रम संख्या 248 पर 843 एकड़ भूमि विज्ञापित की गयी (संलग्नक-1) तथा पुनः आंशिक परिस्कार करते हुए धारा-4 की विज्ञप्ति संख्या- 5564 दिनांक 27 दिसम्बर 1955 द्वारा उक्त ग्राम के 800 एकड़ भूमि का अन्तर्गत धारा-4 उप धारा 1(सी) भारतीय वन अधिनियम 1927 विज्ञापित की गयी (संलग्नक-2)। विज्ञप्ति संख्या- 23(2)36(ब)/14-ख-67 दिनांक 24 जुलाई 1967 द्वारा 423 बीघा 12 बिस्वा रक्षित वन के रूप में विज्ञापित की गयी (संलग्नक-3)। विज्ञप्ति संख्या-4646/14-2-20 (41)-77 दिनांकित 20.07.1977 द्वारा 419 बीघा 9 बिस्वा अन्तर्गत धारा-20 भारतीय वन अधिनियम 1927 रक्षित वन विज्ञापित किया गया (संलग्नक-4)।

9/2

9

प्रस्तावित परियोजना ग्राम— ददरी खुर्द, तहसील—सदर, जिला— मीरजापुर के सीमा से जुड़े दक्षिण में दांती आरक्षित वन (क्षेत्रफल—3232.80 हे०), उत्तर में सुखनई आरक्षित वन तथा पूरब में दाढीराम आरक्षित वन (क्षेत्रफल—3783.90 हे०) स्थित है। उक्त परियोजना तीन ओर से आरक्षित वन से घिरी हुई है प्रस्तावित परियोजना हेतु एप्रोच रोड तथा प्लांट हेतु आवश्यक पाइप लाइन अधिकांशतः आरक्षित वन क्षेत्र से गुजरेगी सम्पूर्ण सघन वन क्षेत्र में भालू, सियार, लोमड़ी, सांभर, नीलगाय, लकडबग्घा एवं विभिन्न प्रकार के रेप्टाइल्स तथा प्रक्षी इत्यादि उक्त वन क्षेत्र में निवास करते हैं। उपरोक्त सघन वन क्षेत्र के निकट प्लांट स्थापित होने की स्थिति में वन्य जीवों तथा वन क्षेत्र में पायी जाने वाली जैव-विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय

(राकेश चौधरी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर।

संख्या 4590 अ/समदिनांक

प्रतिलिपि— मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— उप प्रभागीय वनाधिकारी, चुनार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— श्री सुधीर श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि वेलेस्पन इनर्जी, यू०पी०प्रा०लि० प्लाट नं० 242/1, प्रथम तल, बबुआ का पोखरा, ब्रम्हपुरी कालोनी मीरजापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(राकेश चौधरी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर।

FOREST DEPARTMENT

MISCELLANEOUS

October 11, 1952

GAZETTE 617

No. 617/XIV—In exercise of the powers conferred by section 117 of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (U. P. Act I of 1951), the Governor is pleased to declare that as from the first day of November 1952

(1) all land whether cultivable or otherwise except land for the time being comprised in any holding or grove, and

(2) all forests within the village boundaries, situated in a circle, which have vested in the State under the said Act, shall, subject to the exceptions shown in Schedules I and II hereto, vest in the Gaon Samaj established for the Circle.

Schedule I

Particulars of uncultivated land and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs

District	Tahsil	Pargana	Village	Extent to which the uncultivated land (to be demarcated) shall not vest
1	2	3	4	5
Dehra Dun	Dehra Dun	Western Doon	1. Kayskul Bhatta	2,087
			2. Bhrani	110
			3. Chalang	151
			4. Kharawan	183
			5. Garhi Muchak	196
			6. Gumaniwala	194
			7. Balwala	303
			8. Baderna	201
			9. Gadul	4,208
			10. Nali	149
			11. Simyari	212
			12. Silla	240
Nainital	Nainital	Gangoh	1. Ram Raikhor	155
			2. Rajpur Latifpur	179
			3. Bataara	515
			4. Baur Khori Musalman	236
			5. Khairan	168
			6. Haidarpur	307
			7. Shitalpur	205
			8. Sherpur	455
			9. Ranpur Barai (Alluvial)	200
			10. Tajpura	122
			11. Darya Baranad	111
			12. Jandheri	134
Muzaffarnagar	Muzaffarnagar	Gordhanpur	1. Khanpur	380 (in Aiki).
			2. Idriapur	232 (in Chakheri).
			3. Mura Bailla	1,671 (in Ramuwala).
			4. Farakhpur	287 (in Panchili).
			5. Farakhpur	229 (in Hastmouli).
			6. Abdipur	194
			7. Khairi	284 (in Marakhpur).
			8. Kharki	252 (in Hekunthpur).
			9. Husainpur	170
			10. Bhadauli	140 (in Bhololpur).
			11. Kalsiya	244
			12. Jogawala	418 (in Udiawali).
		Kasana	13. Barhiwala	146
			14. Barhiwala	320 (in Bhainaliwala).
			15. Almawala	124
			16. Mohampur	131 (in Zhiwarheri).
			17. Dharmapur	490
			18. Yahyapur	231
			19. Shahpur	283 (in Madarpur).
			20. Mohampur	186 (in Dhamat).
			21. Farakhpur	331
			22. Shalpur	308 (in Rizkallapur).
			23. Balawali	497 (in Shahpur Khadar).
			24. Badshahpur	700 (in Himmatpur Bala).
			25. Badshahpur	245 (in Ramachalwala).
		Bidauli	26. Rogana	173
			27. Bibipur Jalavpur	290
			28. Phawati Khurd	473
			29. Kherikhushaam	356
			30. Garhi Hassanpur	103
			31. Khodasbha	849
			32. Sakauti	575
			33. Mansura	564
			34. Balhara	586
			35. Shital Garhi	402
			36. Vanspur of Chaudh	1,181

Muzaffarpur Kaimur

215.	Patluki	146
216.	Saura Pralap	185
217.	Taluk	571
218.	Rali	393
219.	Monli	189
220.	Phaularia Khurd	116
221.	Saurai	988
222.	Amoi	824
223.	Tharua	1,468 - R/gay
224.	Maribau	309
225.	Deori Kolan	219
226.	Kluchahar	410
227.	Kubari Babhanar	708
228.	Karanda	313
229.	Pathar	317
230.	Rajkara	721 - R/gay
231.	Piprad	362
232.	Hardi Kolan	1,381 - R/gay
233.	Barki	1516
234.	Hardi Mbar	148
235.	Kulhanki	136
236.	Amok	281
237.	Patwar	229
238.	Kerandhi	196
239.	Deori Duwar	225
240.	Khandwar Midhan	144
241.	Deori Uttar	1,186
242.	Minuti Raja	334
243.	Hindani	374
244.	Dadri Khurd	309
245.	Chandawa Khurd	230
246.	Gadwa	209
247.	Rimoti	1,224
248.	Dadri Khurd	843
249.	Umariya Sardar	631
250.	Pongra	451
251.	Gadwa	681
252.	Palliput	159
253.	Sagar Sempur	122
254.	Sakari Mugayda	163
255.	Gapahar	3,321

Chunar Almorah

256.	Beghona	655
257.	Beghona	684
258.	Kathpur	910
259.	Umehi	80
260.	Medhugur	3,382
261.	Koshnaraiya	1,434
262.	Bantara	137
263.	Chhoto Hingula	2,14
264.	Jamniyatpur, Siur	2,170
265.	Kampur Dhubai	3,597
266.	Lalitpur, Manikpur	50

Saktisagarh

267.	Lehara, Gogadara	2,080
268.	Rajapur Dhokwah	448
269.	Naudhar Lalpur	45
270.	Dadwa, Bishampur, Mutihari	210
271.	Dadwa	1,359
272.	Bahura	1,450
273.	Chaukhwa	2,176
274.	Sarso	500
275.	Semri	149
276.	Nikarwa	1,283
277.	Bijapur	7,230
278.	Tilwa	359
279.	Kooba Khurd, Kooba Kolan	700
280.	Saktisagarh, Khamwa Jayati	400
281.	Mapur	150
282.	Bhonai	1,153
283.	Dhorhara	405
284.	Dumpr	86
285.	Kalwari Moti	170
286.	Dhaur	110
287.	Dhaur	110

Robertaganj Barhar

288.	Khatkata	110
289.	Doraheri	306
290.	Bamhi	128
291.	Tuli Pokhar	311
292.	Dholi	320
293.	Babhanar	201
294.	Kandari	2,470
295.	Majurahi	184
296.	Lohi	221

Bijaygarh

297.	Karidhi	236
298.	Bichhi Gora	148
299.	Piri	160

FOREST DEPARTMENT

MISCELLANEOUS

December 27, 1955

Dadri khurd on page
no. 6 s. No. 57

No. 5564/XIV.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act, (1927) and in continuation of notification no. 5056/XIV, dated November 12, 1955, the Governor is pleased to declare that it has been decided to constitute the land shown in the subjoined Schedule in Mirzapur District reserved forests.

Under section 1(c) of section 4 of the said Act, the Sub-Divisional Officers of the sub-division concerned are hereby appointed Forest Settlement Officer and under section 17 of the said Act, the Additional Commissioner, Banaras Division, is empowered to hear appeals from the orders of the Forest Settlement Officers.

Schedule

	Talasil	Pargana	Village	Block no.	Boundary of the block	Area in acres	Remarks
	2	3	4	5	6	7	8
District Mirzapur							
1. 1450	Mirzapur	Kantil	Rampur Machwa	24	South—Uttar Deori Forest. West—Fields of Uttar Deori. North—Cultivated area of Rampur Machwa village. East—Rampur Thakardayal village boundary.	119	
2. 1530	Do.	Do.	Samri Magardha	25	South—Sahira village boundary. West—Ditto. North—Ramihari Forest. East—Cultivated area of Samri Magardha.	153	
3. 140	Do.	Do.	Gahera	26	South—Village boundaries of Gahera and Magardha Kalan and Khauri. West—Dudhuwa village boundary. North—Argajapandaypur village boundary. East—Cultivated area of Karanpura.	248	
4. 124	Do.	Do.	Itahi	27	South—Kotli village boundary. West—Majhyar Forest. North—Belahi village boundary. East—Belahi and Kotli villages.	303	
5. 280	Do.	Do.	Deori Dubar Khaz.	28	South—Agricultural fields of Deori Dubar Khaz. West—Purwa and Amoi village boundary. North—Deori Uttar Forest. East—Puthaur Forest.	280	
6. 3,605	Do.	Do.	Barkachha Kalan	29	South—Gurtatwa village boundary. West—Barkachha Khurd Forest and Bahura Forest. North—Agricultural fields of Barkachha Kalan. East—Khajuri Nadi.	3,605	
7. 1,392	Do.	Do.	Belahi	30	South—Common boundaries of Belahi, Rehi and Kotli villages. West—Village boundaries of Rehi and Gangahara village. North—Village boundary of Kalwaci Khurd. East—Chitang village boundary.	1,392	

By order,

ZAHURUL HASAN, Secretary

Block no.	Boundary of the block	Area in acres	Remarks	Tahsil	Pargana
5	6	7	8	2	3
15,371					
55	South—Siktahi River and Forest West—Common boundary of Kotwa and Bela villages. North—Danti Forest. East—Danti and Sourai Forest.	1,183		Mirzapur	Kanhi
56	South—Bela and Sourai Forest. West—Kotwa village boundary and Khajuri River. North—Gaura Bannin Forest and Jhingwa Garkachha Road. East—Uchland and Dadri Garkachha Forest.	733			
57	South—Danti Forest. West—Agricultural fields of Dadri Khurd and Dadri Gehra. North—Sukhni Forest. East—Darhram Forest.	309			Do.
58	South—Cultivated area of Marihan village and Patwar Forest. West—Deori Kalan fields. North—Dachiram Forest. East—Tahsil boundary of Mirzapur and Chunar Tahsils.	309			
59	South—Dachi Ram Forest West—Dachi Ram village boundary. North—Agricultural fields of Raksha Kalan village. East—Dachi Ram forest and Pachokhra fields.	239		Do.	Do.
60	South—Dadri Khurd and Darhram Forest. West—Uchland Forest. North—Agricultural fields of Sukhni and Umeria villages. East—Dachi Ram village boundary.	314		Do.	Do.
61	South—Common boundary of Marihan and Darhram villages and then Dachi Ram and Deori Kalan. West—Common boundary of Dadri Khurd and Darhram villages and then Darhram and Sukhni village. North—Agricultural fields of Darhram village, Raksha Kalan forest and then Pachokhra fields. East—Forest boundary of Umeria Sardar and then Tahsil boundary of Mirzapur and Chunar Tahsils.	3,050			
62	North—Dachi Ram forest West—Ditto. South—Ditto. East—Tahsil boundary of Mirzapur and Chunar tahsils.	744			
63	South—Common boundary of Karanpura and Rajapur village and then Karanpur Kalvari villages. West—Boundary of Barni and Magarich forests. East—Boundary of Fagar and Pandapur forests. North—Agricultural fields of Karanpura and Harrai forest.	1,268			

(24 जनवरी 1967)

29

सं. २३१ (२) ३६ (ब) / १४-ब-६७-राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की रक्षित वन बनाया जाय।

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट संख्या १६, १९२७) की धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (ए) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके और वित्तिलि संख्या २१६४/१४, दिनांक २७ दिसम्बर, १९५४ का आदेश परिष्कार करके राज्यपाल घोषणा करते हैं कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि की रक्षित वन बनाया निर्दिष्ट किया गया है।

२-राज्यपाल, उपर्युक्त ऐक्ट की धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (सी) के अधीन श्री उमासरन मिश्र, डिप्टी कलेक्टर मिर्जापुर को उक्त ऐक्ट के प्रयोजनों के लिए वन बन्दोवस्त अधिकारी नियुक्त करते हैं।

अनुसूची

बाग़ी राम ब्लाक

जिला	तहसील	परगना	तप्पा	ब्लाक के प्रमो. ग्राम का नाम का क्रमांक	बसरा प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल
१	२	३	४	५	६	७
मिर्जापुर	मिर्जापुर	कतित	६४	१	सुखनई	३७५
					३८२	७ १६ ०
					३८३	१ १ ०
					३८४	३ ३ ०
					३८५	३ १ ०
					३८६	१ १ ०
					३८७	१ १ ०
					३८८	१ १ ०
					३८९	१ १ ०
					३९०	१ १ ०
					३९१	१ १ ०
					३९२	१ १ ०
					३९३	१ १ ०
					३९४	१ १ ०
					३९५	१ १ ०
					३९६	१ १ ०
					३९७	१ १ ०
					३९८	१ १ ०
					३९९	१ १ ०
					४००	१ १ ०
					४०१	१ १ ०
					४०२	१ १ ०
					४०३	१ १ ०
					४०४	१ १ ०
					४०५	१ १ ०
					४०६	१ १ ०
					४०७	१ १ ०
					४०८	१ १ ०
					४०९	१ १ ०
					४१०	१ १ ०
					४११	१ १ ०
					४१२	१ १ ०
					४१३	१ १ ०
					४१४	१ १ ०
					४१५	१ १ ०
					४१६	१ १ ०
					४१७	१ १ ०
					४१८	१ १ ०
					४१९	१ १ ०
					४२०	१ १ ०

194

बस ब्लाक बाग़ी राम

अ.पुर	मिर्जापुर	क.ति.त	व.४	५	उमरिया सारचार	वी०	बि०	वि०
					७५	१०	१०	०
					७६	३	१०	०
					७७	१४	५	०
					७८	७८	१२	०
					७९	७१	११	०
					८०	७६	५	०
					८१	१	१७	०
					८२	१५०	१०	०
					८३	४४	१	०
					८४	३६	७	०
				६ मडिहान	११	१	१५	०
					१२	०	५	०
					१३	११२	१२	०
					१४	२७	१३	०
					२०-मि०	३	०	०
					४४	१४५	१३	०
					४५	११	११	०
					४६-मि०	१	०	०
				७ पडेवर	१	१	१५	०
					२	४०	१३	०
					१७	१	१०	०
					१८	२	१७	०
					१९	४	११	०
					२३	११	१६	०
					२४	३	६	०
					२५	४७	५	०
					२६	३७	७	०
					२७	०	२०	०
					२८/१	४	११	०
					२९	४	१३	०
					३०	४६	१५	०
					३३	२	०	०
					३४	१	०	०
					३५	५	०	०
					३६	३	५	०
					४२	०	३	०
					४३-मि०	२३	१२	०
					४४	०	२	०
					४५	०	११	०
					४७	३०	१३	०
					४८	५	१	०
					४९-मि०	१७	०	०
					५०-मि०	५	०	०
				८ ववरी खुर्द	१	१५१	१	०
					२४	१३१	१०	०
					६५	३	२	०
					७३/१	१४	१५	०
					७४-मि०	५	०	०
					१८५	१०५	१२	०
					१८५	१३	१२	०
					योग	१५,०२६	११	०

204

123-12-0

आपका
६.३.११:५५

20 जुलाई, 1977 ई०

अनुभाग-2

अधिसूचना

संलग्नक - (3)

सं० 4646/14-2-20(41)-77-अधिसूचना संख्या 23 (2)-36(ब)-14-ख-67, दिनांक 24 जुलाई, 1967 द्वारा अधोलिखित अनुसूची 'क' में निविष्ट भूमि को, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) के अधीन, आरक्षित वन बनाने का प्रस्ताव किया गया था ;

और, उक्त भूमि में अधिकारों के दावों को प्रस्तुत करने के लिये उक्त अधिनियम द्वारा निविष्ट अवधि समाप्त हो गयी है ; और ऐसे कोई दावे स्वीकार नहीं किये गये हैं, किन्तु अनुसूची 'ख' में दी गयी सीमा तक रियायतें दी गयी हैं ;

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 20 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल दिनांक 30 जनवरी, 1978 से अनुसूची 'क' में उल्लिखित उक्त भूमि को आरक्षित वन घोषित करते हैं :

अनुसूची 'क'

ब्लॉक दाढ़ी रामे स्थिति और क्षेत्रफल

1	2	1	2	1	2	1	2
ग्राम-मुखनई	बी०बि०बि०	बी०बि०बि०	बी०बि०बि०	बी०बि०बि०	बी०बि०बि०	बी०बि०बि०	बी०बि०बि०
		416	0 9 0				
	बी०बि०बि०	417	1 3 0	457	0 16 0	2509	1 12 0
875	7 19 0	418	0 16 0	458	0 14 0	2510	892 14 0
382 ✓	1 9 0	419	0 4 0	459	1 0 0	2511	72 6 0
383	2 3 0	420	0 14 0	460	1 14 0	2512	1 6 0
384	3 18 0	421	0 14 0	461	1 8 0	2513	20 7 0
385	3 14 0	422	0 6 0	462	1 17 0	2514	1 11 0
386	1 1 0	423	0 2 0	463	1 1 0	2515	4 19 0
387	1 3 0	424	0 8 0	464	2 3 0	2516	3 14 0
388	0 4 0	425	0 14 0	465	1 11 0	2517	23 19 0
389	0 4 0	426	0 3 0	466	7 3 0	2518	0 16 0
390	1 7 0	427	0 11 0	467	6 9 0	2519	6 4 0
391	0 7 0	428	0 1 0	468	4 2 0	2520	4 0 0
392	0 14 0	429	1 7 0	469	3 3 0	2521	340 1 0
393	0 17 0	430	1 4 0	470	8 10 0	2522	176 12 0
394	1 11 0	431	1 4 0	471	3 5 0	2523	0 18 0
395	0 13 0	432	1 4 0	472	1 1 0	2524	39 10 0
396	0 16 0	433	1 8 0	473	0 8 0	2525	3 8 0
397	0 13 0	434	1 1 0	474	0 8 0	2526	43 13 0
398	0 4 0	435	0 4 0	475	0 14 0	2527	0 16 0
399	0 10 0	436	0 15 0	476	2 4 0	2528	169 4 0
400	1 0 0	437	0 11 0	477	0 7 0	2529	0 14 0
401	0 17 0	438	1 1 0	478	0 9 0	2542	134 16 0
402	1 4 0	439	0 8 0	479	0 10 0	2543	66 8 0
403	0 7 0	440	0 11 0	480	1 3 0	2544	115 19 0
404	1 10 0	441	0 19 0	481	3 10 0	2545	1 8 0
405	0 4 0	442	1 4 0	482	0 9 0	2546	74 4 0
406	1 1 0	443	1 7 0	483	10 5 0	2547	68 14 0
407	0 4 0	444	1 0 0	484	0 6 0	2548	161 0 0
408	0 7 0	445	1 7 0	485	1 7 0	2549	0 8 0
409	0 16 0	446	1 0 0	486	0 10 0	2550	70 17 0
410	1 16 0	447	1 0 0	487-मि०	250 10 0	2551	3 11 0
411	0 4 0	448	1 0 0	488	0 9 0	2552	2 2 0
412	1 10 0	449	0 8 0			2553	1 11 0
413	0 12 0	450	0 12 0	योग...	394 4 10	2554	3 6 0
414	0 12 0	451	0 10 0	2391-मी०	51 0 0	2555	0 6 0
415	0 10 0	452	0 10 0	2506-मी०	90 0 0	2556	18 4 0
		453	0 19 0	932	236 16 0	2557	0 4 0
		454	1 0 0	2678-मी०	153 0 0	2558	2 11 0
		455	0 13 0	2507	2 3 0	2559	0 4 0
		456	2 5 0	2508	158 2 0	2560	0 12 0

2		1	2		1	2		1	2	
बी० बि० बि०		गांव—पेदेवर	बी० बि० बि०		बी० बि० बि०	गांव—दवरो खुद		बी० बि० बि०		
82	150 10 0		बी० बि० बि०	33-मी०	1 19 15			बी० बि० बि०		
83	44 1 0	1	1 18 0	34	1 0 0	11-मी०	150 1 0			
84	36 7 0	2-मी०	40 9 0	35-मी०	4 17 0	24-मी०	131 9 0			
योग ..	1,103 11 0	17-मी०	1 8 0	36	2 8 0	73/1	14 15 0			
बि—मडिहान		18-मी०	2 15 0	42	0 3 0	74-मी०	4 0 0			
	1 19 0	19-मी०	4 12 0	43-मी०	29 12 0	184	105 12 0			
	0 8 0	23-मी०	11 15 0	46	0 11 0	185	13 12 0			
	112 12 0	24	3 6 0	47-मी०	30 9 0	योग	419 9 0			
4-मी०	27 8 0	25-मी०	47 7 0	48	8 1 0	कुल प्रत.	14895 17 5			
20-मी०	3 0 0	26	37 4 0	49-मी०	17 0 0	या	9309 52			
44-मी०	145 1 0	27	0 10 0	50-मी०	5 0 0	एकड़ या	3767 594			
45	1 11 0	28/1	4 11 0	योग ..	298 3 15	हेक्टेयर				
46-मी०	1 0 0	29	4 13 0							
योग ..	292 19 0	30	36 15 0							

सीमा का वर्णन

मनारा संख्या	मनारे की स्थिति	अगले मनारे की लगभग दिशा	लगभग विवरण		अगले मनारे की लगभग दूरी (जरीबों में)	अगले मनारे की सीमा का प्रकार	विवरण
			अग्रिम	पार्श्व			
1	2	3	4	5	6	7	8
			फारेस्ट ब्लॉक नं० 1				
1	कृषि क्षेत्र सं० 546-598 एवं 551 के जोड़ पर	—	—	—	14.35	टेढ़ी लाइन	ग्राम दादी राम व बहुती के दो-
2	कृषि क्षेत्र सं० 546-मी० के दक्षिणी उ०प०उ० मेंड पर	—	319.00	139.30	5.38	सीधी लाइन	हद्दे से अ० चु० कोण 93.00
3	कृषि क्षेत्र सं० 546 एवं 545 के उ०प०उ०, उभयनिष्ठ सीमा पर	—	12.00	192.00	10.25	"	प० च० कोण 273.00 दूरी,
4	कृषि क्षेत्र सं० 546-मी० के पश्चिमी मेंड पर	प०उ०प०	313.00	133.00	6.50	"	17 जरीब 25 कड़ी पर पी० नं० 1 प्रारम्भ
5	"	"	283.00	103.00	3.82	"	
6	कृषि क्षेत्र सं० 546 एवं 545 के उभयनिष्ठ सीमा पर	पू०उ०पू०	46.00	226.00	8.60	"	
7	कृषि क्षेत्र सं० 546 में	"	118.00	298.00	7.00	"	
7-क	"	"	118.00	298.00	7.00	"	
8	कृषि क्षेत्र सं० 546 व 532 व 551 के जोड़ पर	पू०उ०पू०	118.00	298.00	8.60	"	
9	कृषि क्षेत्र सं० 532 एवं 551 के सीमा पर	प०उ०प०	18.00	198.00	19.60	"	
9-क	वन क्षेत्र सं० 532 में	उ०पू०उ०	18.00	198.00	3.60	"	
10	कृषि क्षेत्र सं० 510 के दक्षिणी मेंड पर	द०प०द०	197.00	17.00	12.00	"	
11	वन क्षेत्र सं० 532-मी० के पश्चिमी मेंड पर	"	198.00	18.00	3.80	"	
12	कृषि क्षेत्र सं० 533 के द०पू० कोण पर	प०उ०प०	278.30	9.30	3.21	"	
13	वन क्षेत्र सं० 532-मी० के प० मेंड पर	द०प०द०	204.00	24.00	6.40	"	